

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला -बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 337 / 2012
संस्थित दिनांक-30.07.2012

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
ठीकरी,जिला बड़वानी

..... अभियोगी

वि रु द्ध

मयाराम पिता नानसिंह उम्र 35 वर्ष,
निवासी रुई थाना राजपुर जिला बड़वानी

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	-	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	-	श्री आर.के.श्रीवास अधिवक्ता ।

--:: निर्णय ::--
(आज दिनांक 21 / 02 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 123 / 12 के आधार पर दिनांक 13.06.2012 को रात 12:30 बजे स्थान खुरमपुरा लक्ष्मी ढाबा के पास लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर नम्रता एवं अमित का जीवन संकटापन्न करने तथा उसे टक्कर मारकर गंभीर उपहतियां कारित की एवं डॉ. अमोल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के लिये भा. द.वि. की धारा-279, 338, 304ए का अपराध है ।

02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.12 को फरियादी हनुमान ने थाना ठीकरी पर सूचना दी थी कि वह लक्ष्मी ढाबे खुरमपुरा पर चौकीदारी करता है। रात करीब 12-01 बजे के बीच वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाकर कार क्रमांक एम.पी. 09 सी. सी. 2995 को टक्कर मार दी, जिससे उसमें बैठे डॉ. अमोल की मृत्यु हो गई और उन्हें निकालकर ईलाज के लिये अस्पताल ले गये। घायत व्यक्तियों के नाम नम्रता तथा अमित हैं, और मरने वाले व्यक्ति का नाम डॉ. अमोल हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अप.क्र. 123 / 12 दर्ज कर घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया था। मृतक के शव का पंचनामा बनाकर शव परीक्षण कराया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर नक्शामौका बनाया। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे उक्त ट्रक के दस्तावेज और उसकी चालन अनुज्ञप्ति जप्त की तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भादवि की धारा-279, 338, 304ए का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। दफ़्तर की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया ।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 13.06.2012 को रात 12:30 बजे स्थान खुरमपुरा लक्ष्मी ढाबा के पास लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर नम्रता एवं अमित का जीवन संकटापन्न किया?
2	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर नम्रता एवं अमित को टक्कर मारकर गंभीर उपहतियां कारित की?
3	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मृतक अमोल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?

—:सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में हनुमान (असा.1) का कथन है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता हैं। लगभग 7 माह पूर्व रात्रि के समय की घटना हैं। वह लक्ष्मी ढाबा खुरमपुरा पर चौकीदारी का काम करता हैं। एबी रोड़ पर एक ट्रक धीमी गति से चल रहा था तब एक मारुति कार तेज गति से आकर पीछे से ट्रक के पिछले भाग पर टकरा गई जिससे मारुति में बैठे हुये एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई, उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर की थी। जो प्रपी-1 हैं, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था, जो प्रपी-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रपी-3 और 4 पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने ट्रक का नंबर नहीं देखा था। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि ट्रक क्र. एमपी 09 एचएल 9421 के चालक ने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मारुति कार क्र. एमपी 09 सीसी 2995 को टक्कर

मारी थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि मारुति कार पीछे से आकर ट्रक में टकरा गई। साक्षी ने प्रपी-1 की रिपोर्ट तथा पुलिस कथन प्रपी-5 पर उक्त बातें पुलिस को बताने से इंकार किया। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह पढ़ा-लिखा नहीं हैं, केवल नाम लिखना जानता है। उसने पुलिस रिपोर्ट में ट्रक का नंबर और मारुति का नंबर नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मारुति कार वाला तेजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, तथा उसकी गलती से दुर्घटना हुई है।

07. शंकर (असा.2) का कथन है कि ट्रक के पीछे मारुति कार फसने के संबंध में कथन किया है। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि ट्रक क्र. एपमी 09 एचएल 9421 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर टक्कर मार दी थी। साक्षी ने पुलिस को प्रपी-6 का कथन देने से भी इंकार किया।

08. अमित वर्मा (असा.4) का कथन है कि दिनांक 13.06.12 को वह अपने मित्र डॉ. अमोल तथा उसकी पत्नी नम्रता के साथ सिर्डी से वापस देवास जा रहे थे। ठीकरी के निकट लक्ष्मी ढाबे के पास अपने वाहन को सामान्य गति से चला रहा था। सामने से एक ट्रक तेजी गति एवं लापरवाही से चलता हुआ आया जिसने वाहन को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही अमोल की मृत्यु हो गई थी तथा मुझे और नम्रता को चोटें आईं। उसे ट्रक का नंबर बाद में ट्रक क्र. एपमी 09 एचएल 9421 मालूम पड़ा। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसे ट्रक का नंबर याद नहीं था। क्लेम प्रकरण में ट्रक का नंबर उन्होंने लिखा था। इस कारण वह ट्रक का नंबर बता पा रहा है।

09. डॉ. योगेश (असा.3) ने उसके पुत्र अमोल की दुर्घटना में मृत्यु होने तथा उसकी पत्नी नम्रता व साथी अमित वर्मा को ठीकरी से लौटते समय दुर्घटना में चोटें आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने सफीना फार्म प्रपी-7 और लाश पंचायतनामा प्रपी-8 में अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रपी-9 के कथन में ट्रक क्र. एपमी 09 एचएल 9421 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर अमोल के वाहन को टक्कर मारने के संबंध में कथन किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर नहीं देखा था।

10. डॉ. (असा.8) ने दिनांक 13.06.12 को सामुयादिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी आरक्षक मेहताबसिंह द्वारा लाने पर मृत डॉ. अमोल के शव का परीक्षण करने और उसकी मृत्यु शव परीक्षण के 12 घंटे के भीतर होना बताई तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी-12 भी प्रमाणित किया है।

11. मेहताबसिंह (असा.6) का कथन है कि दिनांक 13.06.12 को फरियादी हनुमान की निशां देही से नक्शामौका प्रपी-2 का बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने डॉ. अमोल के शव का परीक्षण के लिये भेजा था। उसने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पेश करने पर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09

एच.एफ. 9421 के दस्तावेज और आरोपी की चालन अनुज्ञप्ति प्रपी-3 के अनुसार जप्त की जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये इस सुझाव से इंकार किया कि उसे साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि किसी साक्षी ने ट्रक चालक द्वारा ट्रक तेजी एवं लापरवाही से चलाकर कार को टक्कर मारने की बात नहीं बताई। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि मारुति कार वाले की लापरवाही से हुई थी।

12. पंडू (असा.7) ने दिनांक 14.06.12 को थाना ठीकरी के अपराध क्र. 123/12 में जप्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 का मेकेनिकल परीक्षण कर उसे सही हालत में पाया है तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी-11 भी प्रमाणित किया।

13. अनिल खंडेलवाल (असा.5) का कथन है कि वह उपस्थित आरोपी को नहीं जानता वह पिछले 20 वर्ष से ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। वर्ष 2012 में उसे पास 5-6 ट्रक थे जिसमें से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 था। उक्त आरोपी उक्त ट्रक में चालक था या नहीं वह नहीं बता सकता। उसके उक्त ट्रक की दुर्घटना हुई या नहीं वह नहीं बता सकता। न्यायालय द्वारा सूचन प्रश्न पूछने पर उसने इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने उससे उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 की दुर्घटना के संबंध में पूछताछ की थी तो उसने पुलिस को बताया था कि उक्त ट्रक का चालक मयाराम हैं। साक्षी ने इस सुझाव के इंकार किया कि खुरमपुरा के पास उक्त ट्रक की दुर्घटना होने की सूचना उसे आरोपी ने दी थी। साक्षी ने पुलिस को प्रपी-10 का कथन देने से भी इंकार किया।

14. परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी द्वारा उक्त वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षपूर्ण तरिके से चलाकर आहत अमित और नम्रता को घोर उपहति कारित करने तथा डॉ. अमोल की मृत्यु कारित के संबंध में कोई कथन नहीं किये और चश्मदीद साक्षी ने भी वाहन का नंबर तक नहीं बताया यहां तक की हनुमान असा 1 ने मारुति कार चालक की गलती से दुर्घटना कारित होना बताया है ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया।

15. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पुर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी मयाराम पिता नानसिंह उम्र 35 वर्ष, निवासी रूई थाना राजपुर जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा-279, 338, 304ए के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

16. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 9421 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील

अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.